

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत

S.D.O

मुकाम

परीवार (50)

बनाम

श्री गोपी लाल

नं.

69-18 मन

क्रियम मुकद्दमा

53 R.T. Act

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पय इनिशियलम जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>विनायका</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि <u>श्री गोपी लाल / गारामण लाल / श्री गोपी लाल / गारामण लाल / श्री गोपी लाल / गारामण लाल / श्री गोपी लाल / गारामण लाल</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>विनायका / श्री गोपी लाल / गारामण लाल</u></p> <p>12/1, 0.31 5.89</p> <p>2 श्री गोपी लाल / गारामण लाल</p> <p>12/1 प्री. 0.31 5.89</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जिवेंद्र कुमार पाण्डे)



पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

Web Copy - Not Official